UPSP050021782022

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, सहारनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या 540/2022

शाह मौहम्मद सिद्दीक बनाम नगर पंचायत आदि

30/03/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र 4ग के निस्तारण पर बल दिया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र 4ग अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वाद हाजा में दिनांक 28–09–2022 ई० नियुक्त थी जिसका वादी को मुगालता हो गया था और उसको दिनांक 28–09–2022 ई0 के स्थान पर दिनांक 29–09–2022 ई० याद रही नियुक्त दिनांक पर वादी लायक अदालत के समक्ष 29–9–2022 ई० को हाजिर था जो कि मूल वाद में नियुक्त नही थी और इसी वजह से प्रार्थी वादी की गैर हाजरी तथा तारीख का मुगालता होने के आधार पर प्रकीर्ण वाद खारिज फरमा दिया जिससे प्रार्थी का सख्त नुकसान हुआ है प्रार्थी के प्रकीर्ण वाद में मूल्यवान अधिकार निहित है और वादी प्रश्नगत सम्पत्ति का रिकोर्डिड भूमिधर तथा मालिक काबिज है तथा विपक्षीगण नम्बर 3 ता 6 उसके साथ सह खातेदार के रूप में दर्ज है खारजा एकतरफा से वादी का सख्त नुकसान व हकतलफी हुयी है और खारजा तारीख का मुगालता होने के आधार पर ही हुआ है प्रार्थी अपने वाद की पैरवी गम्भीरता से करता चला आ रहा है न्यायहित में खारजा एकतरफा दिनांक 28–09–2022 ई० को मंसूख व रिकाल किया जाना आवश्यक है और वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाना न्याय का मंशा भी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि खारजा एकतरफा दिनांक 28–9–2022 ई० प्रर्कीण वाद सं० 154 सन 2018 ई० शाह मौहम्मद सिद्दीक बनाम नगर पंचायत आदि को मंसूख व रिकाल फरमाया जाकर प्रकीर्ण वाद को उसके नम्बर पर कायम फरमाया जावे। शपथ पत्र सलंग्न है।

विपक्षीगण द्वारा नोटिस देने के उपरांत भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। जिस कारण न्यायालय द्वारा उनकी आपत्ति का अवसर समाप्त किया जा चुका है।

सुना तथा परिशीलन किया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकीर्ण वाद के साथ सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या 154/2018 शाह मौहम्मद सिद्दीक बनाम नगर पंचायत आदि तलब होकर प्रस्तुत है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। मूल प्रकीर्ण वाद की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद दिनांक 28–09–2022 को प्रार्थी की अनुपस्थिति व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थनापत्र अंदर मियाद प्रस्तुत किया गया है। न्याय की मंशा है जहाँ तक संभव हो सके मामले का निस्तारण गुण दोष के आधार पर उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त किया जाये। जहाँ तक विपक्षीगण को हुई क्षति का प्रश्न है उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र 4ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 4ग 500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रकीर्ण वाद संख्या 154/2018 शाह मौहम्मद सिद्दीक बनाम नगर पंचायत आदि मे पारित आदेश दिनांकित 28–09–2022 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली पुनः प्रकीर्ण नं० 154/2018 पर कायम हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 01.05.2026 को प्रस्तुत हो।

(देवेश त्रिपाठी)
सिविल जज, (सी०डि०)/एफ०टी०सी०,
सहारनपुर।
ID–UP03339